



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65691

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8131/2025

श्रीमती शशि देवी और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राम कृष्ण कोली

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए., हरेन्द्र यादव, प्रभात सिंह

न्यायालय संख्या- 75

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची संशोधित की गई।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कृष्ण कोली, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। संशोधित सूची में मामला पुकारे जाने पर भी, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री हरेन्द्र यादव और श्री प्रभात सिंह उपस्थित नहीं हैं।
3. यह अर्ज़ी बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदकों - श्रीमती शशि देवी, दया राम शाक्य और आकाश शाक्य - द्वारा दायर की गई है। इसमें अनुरोध किया गया है कि इस अर्ज़ी को मंजूरी दी जाए और मुकदमा संख्या 157046/2023 (राज्य बनाम आकाश शाक्य और अन्य) की पूरी कार्यवाही,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साथ ही 14.12.2022 की चार्ज-शीट और 18.11.2023 के संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया जाए। यह केस, मुकदमा अपराध संख्या 0476/2022 से जुड़ा है, जो आईपीसी की धाराओं 498-A, 323, 504, 506 और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कल्याणपुर पुलिस स्टेशन, वेस्ट ज़िला कानपुर नगर कमिश्नरेट में दर्ज हुआ था और अभी कानपुर देहात की फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में लंबित है। साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया है कि माननीय न्यायालय इस अर्जी के लंबित रहने के दौरान उक्त केस की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करे।

4. पक्षों के बीच उनके विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करने के लिए, 23.05.2025 के आदेश के माध्यम से मामला इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया था।

5. मध्यस्थता केंद्र की 12.09.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, पक्षों ने 27.08.2025 के अंतरिम समझौते के आलोक में 10.09.2025 को समझौता कर लिया है और अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। इसके अलावा, वे अपने बीच चल रहे मामलों को वापस लेने के लिए भी सहमत हो गए हैं।

6. 04.11.2025 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र की एक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।

7. इस कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि उस आदेश के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की गई थी, जो पार्टियों के बीच 10.09.2025 को हुए समझौते पर खत्म हुई। यह समझौता उसमें बताई गई शर्तों और नियमों के अधीन था और मध्यस्थता सफल रहा। पार्टियों ने अपनी शिकायतों और इस मामले से जुड़े विवाद को सुलझा लिया है। पार्टियां अपने बीच चल रहे मुकदमा वापस लेने पर सहमत हो गई हैं; यह बात मध्यस्थता रिपोर्ट के पैरा 7(e) में बताई गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर वाद रद्द करने से जुड़ा कानून पूरी तरह से तय है। सुप्रीम कोर्ट ने (1) B.S. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य: (2003) 4 एससीसी 675; (2) निखिल मर्चेट बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन: (2008) 9 एससीसी 677; (3) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य: (2008) 16 एससीसी 1; (4) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एससीसी 303; (5) सैफुल्ला और अन्य बनाम U.P. राज्य और अन्य: 2013 (83) ACC 278 और (6) पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई उर्फ भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य: (2017) 9 एससीसी 641 जैसे मामलों में यह माना है कि जिन मामलों में पार्टियों ने अपनी शिकायतों का निपटारा कर लिया है, उन्हें रद्द किया जा सकता है।
9. अभिलेख के अवलोकन और इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अनुसार, यह वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा आवेदकों की प्रार्थना के अनुसार कार्यवाही को रद्द करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।
10. वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
11. वर्तमान मामले की कार्यवाही के साथ-साथ समन आदेश/चार्जशीट को एतद्वारा रद्द किया जाता है।
12. यदि कोई लंबित आवेदन हो, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

26 मार्च 2026

एस.ए.ं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”